उत्तर प्रदेश शासन
वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
संख्या : 7/2023/बी-1-479/दस-2023-231/2023
लखनऊ : दिनाँक : 01 अगस्त, 2023

कार्यालय - ज्ञाप

वित्तीय वर्ष 2023-2024 के बजट में प्रावधानित धनराशियों के समस्त वित्तीय स्वीकृतियाँ जारी किये जाने सम्बन्धी विस्तृत दिशा-निर्देश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या 2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनाँक 17 मार्च, 2023 द्वारा जारी किये गये हैं।

2- उक्त कार्यालय-ज्ञाप के 2(15) में केन्द्रांश तथा उसके सापेक्ष राज्यांश की धनराशि की वित्तीय स्वीकृति जारी किये जाने की व्यवस्था दी गयी है।

3- चालू वित्तीय वर्ष के चार माह व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी कतिपय महत्वपूर्ण केन्द्र प्रायोजित योजनाओं में चालू वित्तीय वर्ष में अभी तक केन्द्रांश प्राप्त न होने के कारण उनके क्रियान्वयन में विलम्ब हो रहा है।

4- अतः सम्यक् विचारोपरान्त अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या 2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनाँक 17 मार्च, 2023 के प्रस्तर 2(15) को निम्नवत् संशोधित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं :-

प्रस्तर-2	विद्यमान व्यवस्था	संशोधित व्यवस्था
(15)	केन्द्र प्रायोजित योजनाओं में केन्द्रांश प्राप्त करने के लिये वित्तीय वर्ष की प्रथम छमाही में प्रशासकीय विभागों द्वारा समस्त औपचारिकतायें पूर्ण कर केन्द्रांश प्राप्त किया जायेगा। वित्तीय वर्ष की द्वितीय छमाही में केन्द्रांश प्राप्त होने में विलम्ब की दशा में, (क) प्रशासकीय विभाग द्वारा अनुमानित केन्द्रांश प्राप्त होने की प्रत्याशा में, समतुल्य राज्यांश की धनराशि वित्त विभाग की सहमति से वित्तीय स्वीकृति निर्गत कर योजना के एस.एन.ए. एकाउण्ट में स्थानान्तरित की जा सकेगी। (ख) प्रशासकीय विभाग धनराशि व्यय करने से पूर्व यह सुनिश्चित करेंगे कि योजना में केन्द्रांश अवश्य प्राप्त होगा। केन्द्रांश प्राप्त करने के लिये प्रशासकीय विभाग प्रभावी कार्यवाही अवश्य करेंगे तथा केन्द्रांश की प्राप्ति हेतु किये गये प्रयासों एवं उपलब्धि से प्रत्येक माह की अन्तिम तिथि को वित्त विभाग को अवगत करायेंगे। (ग) प्रशासकीय विभागों द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि एस.एन.ए. खाते में राज्यांश की उतनी ही धनराशि अन्तरित की जाय, जिसका वित्तीय वर्ष में पूर्ण उपभोग हो जाय, अन्यथा	(15) चालू वित्तीय वर्ष में प्रशासकीय विभाग, केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के अन्तर्गत केन्द्रांश प्राप्त न होने के कारण यह अनुभव करते हैं कि उक्त योजना के क्रियान्वयन में विलम्ब हो रहा है तथा योजना के क्रियान्वयन हेतु धनराशि की नितान्त आवश्यकता है, ऐसी दशा में, (क) प्रशासकीय विभाग द्वारा अनुमानित केन्द्रांश प्राप्त होने की प्रत्याशा में, समतुल्य राज्यांश की धनराशि वित्त विभाग की सहमति से वित्तीय स्वीकृति निर्गत कर योजना के एस.एन.ए. एकाउण्ट में स्थानान्तरित की जा सकेगी। (ख) प्रशासकीय विभाग धनराशि व्यय करने से पूर्व यह सुनिश्चित करेंगे कि योजना में केन्द्रांश अवश्य प्राप्त होगा। केन्द्रांश प्राप्त करने के लिये प्रशासकीय विभाग प्रभावी कार्यवाही अवश्य करेंगे तथा केन्द्रांश की प्राप्ति हेतु किये गये प्रयासों एवं उपलब्धि से प्रत्येक माह की अन्तिम तिथि को वित्त विभाग को अवगत करायेंगे। (ग) प्रशासकीय विभागों द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि एस.एन.ए. खाते में राज्यांश की उतनी ही धनराशि अन्तरित की जाय, जिसका वित्तीय वर्ष में पूर्ण उपभोग हो जाय, अन्यथा वित्तीय वर्ष के अन्त में एस.एन.ए. खाते मे राज्यांश की

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

	वित्तीय वर्ष के अन्त में एस.एन.ए. खाते मे राज्यांश की अवशेष अव्ययित (unspent) धनराशि का होना वित्तीय अनियमितता माना जायेगा । प्रशासकीय विभाग द्वारा एस.एन.ए. खाते में राज्यांश की धनराशि पर अर्जित ब्याज को राजकोष में जमा कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। (घ) उक्त व्यवस्था के अन्तर्गत यदि अवमुक्त राज्यांश के सापेक्ष संगत केन्द्रांश कम अथवा नहीं प्राप्त होता है तो ऐसी दशा में, अधिक अवमुक्त राज्यांश की धनराशि को समायोजित करते हुये वित्तीय स्वीकृति जारी की जायेंगी । यह प्रावधान वित्तीय वर्ष 2022-2023 में केन्द्रांश की प्रत्याशा में अवमुक्त राज्यांश पर भी लागू होंगें।	अवशेष अव्ययित (unspent) धनराशि का होना वित्तीय अनियमितता माना जायेगा । प्रशासकीय विभाग द्वारा एस.एन.ए. खाते में राज्यांश की धनराशि पर अर्जित ब्याज को राजकोष में जमा कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। (घ) उक्त व्यवस्था के अन्तर्गत यदि अवमुक्त राज्यांश के सापेक्ष संगत केन्द्रांश कम अथवा नहीं प्राप्त होता है तो ऐसी दशा में, अधिक अवमुक्त राज्यांश की धनराशि को समायोजित करते हुये वित्तीय स्वीकृति जारी की जायेंगी । यह प्रावधान वित्तीय वर्ष 2022-2023 में केन्द्रांश की प्रत्याशा में अवमुक्त राज्यांश पर भी लागू होंगें।

उक्त आदेश तात्कालिक प्रभाव से लागू होंगे। तद्नुसार वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या 2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनाँक 17 मार्च, 2023 को इस सीमा तक संशोधित समझा जाय।

दीपक कुमार
अपर मुख्य सचिव, वित्त
एवं वित्त आयुक्त।

समस्त अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव / सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।

संख्या : 7/2023/बी-1-479(1)/दस-2023-231/2023, तददिनाँक

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1 महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम / द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2 महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम / द्वितीय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ / प्रयागराज।
3 अपर मुख्य सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश।
4 प्रमुख सचिव, विधान परिषद् / विधान सभा सचिवालय, उत्तर प्रदेश।
5 वित्त विभाग के समस्त व्यय-नियंत्रण अधिकारी / व्यय-नियंत्रण अनुभाग।
6 सचिवालय के समस्त अनुभाग।
7 समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
8 निदेशक, प्रायोजना रचना मूल्यांकन प्रभाग, योजना भवन, लखनऊ।
9 निदेशक, कोषागार, उत्तर प्रदेश, जवाहर भवन, लखनऊ।
10 निदेशक, वित्तीय सांख्यिकी निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
11 समस्त मुख्य / वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
12 समस्त वित्त नियंत्रक / मुख्य / वरिष्ठ / वित्त एवं लेखाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
13 विभागीय आदेश पत्रावली।

आज्ञा से,

आलोक दीक्षित
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in